

प्रति

राजकीय शाखा
प्रमुख सचिव वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

551 / Dt. 06 Jun 2013

सेवा में

संभारत प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (बै0आ0-सा0नि0) जनु0-7

दिनांक 06 जून 2013

विषय: राजकीय विभागों के कनिष्ठ अभियन्ता की वाहन भत्ते की अनुमति।
महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन द्वारा समयक विचारोपरान्त लिये गये नियम के तहत यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय विभागों के कनिष्ठ अभियन्ता को अपने विभिन्न प्रकार के वाहनों को संतोषजनक और चालू स्थिति में रखते हुए सरकारी व्यय के हित में माध्यम पर की जाने वाली यात्राओं में उपयोग हेतु वित्तीय नियम संग्रह खंड-3 के नियम-82 के अधीन तत्कालिक प्रभाव से वाहन भत्ता निम्नलिखित दर से अनुमति प्रदान की जानी है।

वाहन का नाम	वर्तमान दर (रु०)	संशोधित दर (रु०)
मोटर साइकिल / स्कूटर	450	1200

2- उक्त भत्ते की अनुमति उपरोक्त यात्रा नियम-82 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा0-4-229/सं-2000-620-2000 दिनांक 10 मार्च 2000 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप-395/XXV(1)(7)/2009 दिनांक 24 दिसम्बर 2009 के अनुसार ही रहेगी और राजकीय विभागों के कनिष्ठ अभियन्ता पद के धारकों के संबंध में उक्त ज्ञाप दिनांक 24 दिसम्बर 2009 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

1-T
Upload - n
216
28.01.18
EF

सहायक
प्रमुख सचिव

क्रमांक 551 (1) / XXVII(7)27(14) / 2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रधान महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. निदेशक, एन०आई०सी० उत्तराखण्ड देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा सं

(एल०एन०वित्त)

अपर सचिव।